



सत्यमेव जयते

(☎022-22862703)

ई-मेल/e-mail:

irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई
Mumbai - 400 001

सं.क्र 7/14/2022/IR&W/Vol.II/ 5698

अप्रैल 28, 2023

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : मुख्य लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का
Subject : दावा करने के लिए सीएचएसएस नियमों के तहत नामांकन
प्रावधान के संबंध में
Nomination provision under CHSS Rules for claiming
medical reimbursement in the event of death of prime
beneficiary – regarding

विभाग ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/2/2014/आईआर एंड डब्ल्यू/236 दिनांक 03/07/2015 के माध्यम से उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा (2) के अनुसार सीएचएसएस कार्यालय को नामांकन फॉर्म अद्योषित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है।

Department vide OM No. 7/2/2014/IR&W/236 dated 03/07/2015, has laid down the procedure for forwarding a nomination form to CHSS Office as per para(2) of the said OM.

2. मुख्य लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में जब देय प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए कोई नामांकन मौजूद नहीं है, तब चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के प्रावधानों के संबंध में विभाग से राय मांगी गई है।

Reference has been received in the Department pertaining to provisions for claiming reimbursement of medical expenses in the event of death of the prime beneficiary when no nomination exists for claiming reimbursement due.

3. सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर विभाग में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि पीएफ/एनपीएस के अनुसार नामांकन को सीएचएसएस के लिए नामांकन माना जाएगा।

After careful consideration in the Department, based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has now been decided that nominations as per PF /NPS shall be considered as nomination for CHSS.

4. यह कार्यालय ज्ञापन इसे जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा।

This OM will be effective from the date of issue.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

(अजीता थरियन Ajitha Thariyan)

अवर सचिव (आईआरएंडडब्ल्यू) Under Secretary (IR&W)

सीएचएसएस के सभी प्रशासनिक प्राधिकारी/इकाई प्रमुख/इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख
All CHSS Administering Authorities /Head of Units/Administrative Heads of Units

प्रतिलिपि Copy to:

अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o JS(A&A), DAE

परमाणु ऊर्जा विभाग दर्पण

DAE Darpan